(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2869-पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-6-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 530/अपील/09-10.

---

1. ओमप्रकाश आत्मज मूलचंद
2. रोशन आत्मज रहीम
   निवासीगण ग्राम कलारा
   तहसील बैरसिया जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1. हरीराम आत्मज रामलाल
   निवासी ग्राम कलारा
   तहसील बैरसिया जिला भोपाल
2. मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री बी.एन. कोचर, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 10-6-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 56/अ-19/75-76 में पारित आदेश दिनांक 24-12-76 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया के समक्ष दिनांक 22-12-07 को लगभग 31 वर्ष विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 एवं संहिता की धारा 32 सहित प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अपील/08-09 पंजीबद्ध कर दिनांक 31-1-09 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा

दिनांक 10-6-2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. रिवीजनकर्ता ग्राम कलारा तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कृषक एवं निवासी जन्म दिनांक से होकर उसके नाम से राजस्व अभिलेखों में खसरा क्रमांक 80 रकबा 4.54 एकड़ का भूमिस्वामी है, जिस पर वह पिछले 100 वर्षों से कब्जाधारी एवं आधिपत्यधारी है । पूर्व में उक्त भूमि उनके दादा-परदादा एवं पिता की थी, उनकी मृत्यु उपरांत वर्तमान अभिलेखों में उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है ।

2. ग्राम कलारा तहसील बैरसिया जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 151 कुल रकबा 10.00 एकड़ में से 2.77 एकड़ भूमि उसे आबंटित की गई थी । अनावेदक क्रमांक 1 हरीराम अपने आपको उसका भूस्वामी कहता है, उसका कहना है कि उक्त भूमि उसे 1975-76 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण शासन से प्राप्त हुई है, परन्तु आज दिनांक तक उस खसरे का सीमांकन नहीं हुआ है, न ही बटान की गई, जिससे यह पता चले कि उसे 10.00 एकड़ में से कौन सी भूमि आबंटित की गई है । अनावेदक क्रमांक 1 का भूमि पर न तो कब्जा था और न ही उसने कब्जे हेतु प्रयास किया ।

3. अनावेदक क्रमांक 1 ने सीमांकन हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं पटवारी से मिल-जुलकर खसरा क्रमांक 151 का सीमांकन एवं बटान प्रस्तुत किया और रिवीजनकर्ता का 80 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा होना बताया गया । उक्त प्रतिवेदन में अन्य कई व्यक्तियों के नाम भी अवैध कब्जे के संबंध में दर्शाये गये । सम्पूर्ण कार्यवाही रिवीजनकर्ता की अनुपस्थिति में की गई और जब इसकी जानकारी रिवीजनकर्ता को प्राप्त हुई तब उसके द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के बाहर होने से निरस्त कर दी गई, जिसकी अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

4. ग्राम कलारा तहसील बैरसिया जिला भोपाल स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 151 रकबा 10.00 एकड़ में से 2.77 एकड़ अनावेदक क्रमांक 1 हरीनारायण को आबंटित होना पटवारी द्वारा बताया गया, जबकि पट्टेदारों को आज दिनांक तक भूभाग पर न तो आधिपत्य सौपा गया, न ही उसमें आज दिनांक तक कृषि कार्य किया गया, न ही बटान कायम की गई और न तो पट्टे की भूमि का अर्थ लिया गया है और न ही उसे चिन्हित किया गया है, जिस भाग पर उसको आबंटित की गई ।

5. पटवारी द्वारा खसरा क्रमांक 151 के भाग 151/1 एवं 151/2 के बटान किए गए, जो अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 26-11-2007 क्रमांक क्यू 31/89/भूमि/2007 दिनांक 4-11-2007 को सीमांकन किया गया, जिसमें खसरा क्रमांक 151/2 के 0.05 एकड़ पर प्रकाश, 0.98 एकड़ पर रिवीजनकर्ता क्रमांक 1 तथा 1.10 एकड़ पर रिवीजनकर्ता क्रमांक 2 तथा 0.48 एकड़ पर शासकीय भूमि पर शासकीय रास्ता पाया गया है । इस तरह कुल 2.61 एकड़ पर अनावेदक क्रमांक 1 हरीराम के अधिपत्य में होना पाया गया ।

6. रिवीजनकर्ता द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/07-08 दर्ज हुआ तब आवेदकगण को पट्टे की जानकारी होने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पट्टे के संशाधन करने हेतु दिनांक 22-12-07 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके साथ अवधि विधान की धारा 5, शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा विलम्ब के कारणों का विवरण दिया, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-1-09 को आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया ।

7. रिवीजनकर्ता द्वारा आयुक्त के यहां प्रस्तुत द्वितीय अपील मय संहिता की धारा 32 अपील प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि अपील करने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि अपील स्वीकार की जाती तो क्या हित था, यह प्रश्न गौण हो जायेगा । विवादित सीमांकन में आवेदक क्रमांक 1 अनावेदक क्रमांक 1 का पड़ोसी कृषक है और यह तथ्य सामने आया कि 0.90 डिसमल पर उसका अवैध आधिपत्य होना दर्शाया है, जिस पर आज दिनांक तक कोई विचार नहीं किया गया, न ही अनावेदक क्रमांक 1 ने संहिता की धारा 250 का प्रकरण रिवीजनकर्ता के विरूद्ध लगाया ।

8. खसरा क्रमांक 151 के बटान का पट्टाधारी है जो आवश्यक पक्षकार है, पट्टे भूमि में रिवीजनकर्ता क्रमांक 1 ओमप्रकाश के निजी खाते की भूमि खसरा क्रमांक 80 के साथ 151 के लगा हुआ है, विवादित अक्स में उसे 151/2 बताया गया है, इसलिए रिवीजनकर्ता आवश्यक पक्षकार है ।

9. अपर आयुक्त के समक्ष रिवीजनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में इन्हीं तथ्यों को दोहराया गया था, जिसका उल्लेख अपील मेमों में किया गया है । अनावेदक क्रमांक 1 प्रकरण में पैरवी नहीं कर रहे थे तथा लगातार पेशी में अनुपस्थित हैं, अत: उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-12-76 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में दिनांक 22-12-07 को 31 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे विलंब का कोई

समाधानकारक कारण नहीं बताये जाने व प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के आधार पर निरस्त किया गया, जबकि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 4-11-07 को सीमांकन कराने एवं उसके प्रकरण के सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत रिवीजनकर्ता को जानकारी हुई कि उसे कोई शासकीय पट्टा प्राप्त है । रिवीजनकर्ता की निजी भूमि भी खसरा क्रमांक 151 में आती है, जिसका रकबा 10.00 एकड़ है, जिसे अनावेदक क्रमांक 1 ने पट्टा शासन द्वारा दिया जाना बताया है । इन सभी तथ्यों का विस्तृत विवरण प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील में मय दस्तावेज के एवं अवधि विधान के आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया गया है, इस कारण स्वत: विलम्ब माफ किया गया, परन्तु इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का निराकरण कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है ।

10. अनावेदक क्रमांक 1 इसी अपील में भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही सीमांकन के आदेश का पालन किया और न ही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही रिवीजनकर्ता के विरूद्ध की गई और न ही उन आदेशों को निष्कासित करने हेतु राजस्व अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सीमांकन की शिकायत उच्च अधिकारियों को की थी, इस कारण उसने बिना किसी नियम एवं प्रक्रिया अपनाए, सीमांकन की कार्यवाही की थी, इस कारण किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि पुनरीक्षणकर्ता का भूमि पर कब्जा लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से निरंतर चला आ रहा है ।

उनके द्वारा उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए निगरानी स्वीकार करते हुए सम्पूर्ण जांच कराने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक पक्ष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाए गए आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 31 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि अत्यधिक विलंबित कार्यवाही है । आवेदकगण द्वारा विलम्ब के संबंध में न तो कोई संतोषजनक कारण बताया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब के संबंध में सप्ष्टीकरण दिया गया है । आवेदकगण द्वारा केवल अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में जारी पट्टे की जानकारी नहीं होना बताया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि 31 वर्षों तक तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में जारी पट्टे की जानकारी आवेदकगण को नहीं होना विश्वसनीय

नहीं है । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य होने से निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित विधिसंगत आदेशों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 10-6-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर